रूची की अभिव्यक्ति

कौशल विकास प्रशिक्षण क्रियान्वयन एवं बाहरी परियोजनाओं द्वारा आय के साधन बढाने हेतु सहयोगी संस्थाओं की तलाष एवं सूचीबद्ध करने हेतु

EOI NO./4850-51/SIAET/2022-23/ Date 01/02/2023

State Institute of Agriculture Extension and Training

Bhadbhada Road, Barkhedi Kalan, Kopal, Bhopal, Madhya Pradesh 462094

STATE INSTITUTE OF AGRICULTURE EXTENSION AND TRAINING
Bhadbhada Road, Barkhedi Kalan, Kopal, Bhopal, Madhya Pradesh 462094
Contact: 0755 - 2696610
Email ID: dirsiaet@mp.gov.in, siaetbhopal@gmail.com

No. .... **Date ....**

रूची की अभिव्यक्ति

कौशल विकास प्रशिक्षण क्रियान्वयन एवं बाहरी परियोजनाओं द्वारा आय के साधन बढाने हेतु सहयोगी संस्थाओं की तलाष एवं सूचीबद्ध करने हेतु

EOI NO./48505 |/SIAET/2022-23/Date 01/02/2023

भोपाल द्वारा कौषल विकास प्रषिक्षण क्रियान्वयन हेतु प्रषिक्षण एजेन्सियों से सूची बद्धता हेतु तकनीकी प्रस्ताव दिनांक 03/02/23 से 24/02/23 समय 05:30 पी.एम. से पहले तक पर आमंत्रित किया जाता हैं।

EOI-www.siaet.nic.in देख सकते है।

अधिक जानकारी हेतु Contact No. 0755-2696610

Email ID-dirsiaet@mp.gov.in, siaetbhopal@gmail.com

पर संपर्क कर सकते है।

निविदा प्रपत्र

निविदा क्रमांक / तक. / कौ.वि.के. / 2022–23 / .... भोपाल दिनांक	
निविदा किसे जारी की गई (आवेदक संस्था का नाम तथा पता)	
जारी दिनांक	
निविदा प्रपत्र हेतु जमा राशि रू. .... की रसीद क्रमांक	

निविदा प्रपत्र

1. विवरण :–

राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान (SIAET) भदभदा रोड़, बरखेड़ीकलां भोपाल (M.P.) की स्थापना 2006 में कृषि विभाग भारत सरकार द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश के किसानों को सेवाएं प्रदान करने में विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए राज्य की प्रतिक्रियां के रूप में शुरू किया गया था। संचालन को पर्याप्त लचीलापन प्रदान करने के लिए SIAET संस्थान को मध्य प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के तहत एक स्वायत्ता सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। SIAET का उद्देश्य कृषि और संबद्ध विभागों के विस्तार कर्मियों को उन्नयन कौशल के माध्यम से उनकी वितरण प्रणाली में सुधार करने में सहायता करना है। SIAET मध्य प्रदेश में कृषि विस्तार सुधार योजनाओं (ATMA) के क्रियान्वयन के लिए राज्य नोड़ल एजेन्सी है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग (SIAET) कृषि एवं संबद्ध विभागों हेतु कृषि विस्तार और प्रशिक्षण के लिए एक शीर्ष संस्थान है। संस्थान विभिन्न गतिविधियों जैसे प्रशिक्षण, परामर्श, प्रलेखन, विभिन्न परियोजनाओं की उनकी जरूरतों पर प्रभाव अध्ययन और कृषि सूचना प्रसार केन्द्र के रूप में कार्य करता है। प्रशिक्षण गतिविधि के एक भाग के रूप में यह वर्तमान संदर्भ में उपर्युक्त प्रमुख विषय क्षेत्रों पर कर्मियों की विभिन्न श्रेणियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और अध्ययन यात्राओं की एक श्रृंखला आयोजित करता है। SIAET की गतिविधियॉ सार्वजनिक, निजी क्षेत्रों के संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों, किसान संगठनों और समूहों, निजी विस्तार सहित कृषि विकास में सभी हितधाारकों को कवर करती है।

2. (अ) कार्य का विवरण :–

यह EOI SIAET में बाहरी परियोजनाओं द्वारा आय के साधन बढाने हेतु सहयोगी संस्थाओं की तलाष एवं सूचीबद्ध करने हेतु जारी की जा रही हैं।

इस EOI के माध्यम से बाह्य गतिविधियों जैसे कौषल विकास प्रशिक्षण/अन्य प्रशिक्षण/सलाह सेवाएं, प्रोजेक्ट वर्क, प्रचार–प्रसार सेवाएं, जांइट प्रोजेक्ट आदि/इनोवेटिव गतिविधियां/परामर्षी परियोजनायें रोजगार, स्वरोजगार, आजीविका संबधित गतिविधियों से संबंधित गतिविधियों हेतु पार्टनर/कंपनी को शामिल किया जाएगा।

इस EOI के माध्यम से कृषि एवं संवर्गीय विभाग तथा ग्रामीण विकास एवं कौषल विकास से संबंधित प्रषिक्षण परामर्ष परियोजना, सी.एस.आर., एफ.पी.ओ. संबंधित परियोजना, कृषि व्यवसाय, कृषि आजीविका से संबंधित गतिविधियों, कौशल विकास प्रशिक्षण, राज्य एवं केन्द्र शासन, निजी संस्थाओं, सी.एस.आर. योजनायें आदि क्षेत्र शामिल है।

इसका उद्देश्य राज्य सरकार , केन्द्र सरकार, एवं सार्वजनिक क्षेत्र, निजी संस्थाओं, सी.एस. आर. द्वारा प्राप्त फंड हेतु पात्र संगठनों की भागीदारी की तलाश करना है।

2. (ब) इस ईओआई की विशेषताएं–यह ईओआई केवल बाहरी परियोजना पर लागू होता है। यह SIAET की आंतरिक परियोजना और गतिविधियों पर लागू नहीं होता है। यदि SIAET भागीदार को अपनी किसी भी आंतरिक परियोजना और गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए कहता है, तो इसे SIAET के अनुमोदित लागत मानदंडों के अनुसार निष्पादित किया जाएगा और इसके लिए आपसी सहमति से एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

SIAET एक भागीदार संस्थान के रूप में परियोजना मूल्य का 5% एक स्पष्ट मार्जिन के रूप में चार्ज करेगा। इसके अलावा, SIAET के संसाधन और बुनियादी ढांचे के उपयोग पर SIAET के अनुमोदित लागत मानदंडों के अनुसार अलग से शुल्क लिया जाएगा।

विषय वस्तुत विशेषज्ञ को भुगतान किया जाने वाला शुल्क SIAET के स्वीकृत मानदंडों के अनुसार या परियोजना की आवश्यकता के अनुसार लागू होगा। उच्च स्तरीय परियोजनाओं के मामले में जहां विशेषज्ञ संकाय के शुल्क एसआईएटी के अनुमोदित मानदंडों से अधिक हैं, इसे उचित रूप से प्रावधानित किया जाना चाहिए और परियोजना प्रस्ताव में शामिल किया जाना चाहिए।

किसी भी परियोजना के शुरू होने से पहले एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे जो सफल आवेदक के साथ हस्ताक्षरित मुख्य समझौते के पूरक समझौते के रूप में कार्य करेगा। परियोजना के लिए अनुपूरक समझौते में परियोजना विशिष्ट नियम और शर्तें शामिल होंगी।

3. पात्रता :–निविदा प्रस्ताव संस्थाओं द्वारा ही प्रस्तुत किये जा सकेंगें। संस्थाओं की पात्रता निम्नानुसार होगी –

अनिवार्य पात्रता मापदंड -

3.1 संस्था का नीति आयोग में पंजीकृत होना, कंपनी एक्ट या पंजीयक म.प्र. फर्म्स एवं सोसायटी में पंजीकृत होना आवष्यक है।

3.2 संस्था द्वारा विगत तीन वर्षो में संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 सरकारी/निजी परियोजनाओं जिनकी ऑर्डर वैल्यू कम से कम 10 लाख या उससे ज्यादा हो, का क्रियान्वयन किया गया हो।

3.3 संस्था के पास संस्थागत एवं कानूनी अनुपालन के पूर्ण दस्तावेज (रजिस्ट्रेषन, पेन, टेन, इत्यादि) होने चाहिए।

3.4 कौषल विकास प्रशिक्षण / अन्य प्रशिक्षण/ सलाह सेवाएं, प्रोजेक्ट वर्क, प्रचार–प्रसार सेवाएं, जांइट प्रोजेक्ट आदि /इनोवेटिव गतिविधियां के क्षेत्र में कार्य करने की इच्छुक संस्था के पास वर्ष में कम से कम पांच सौ हितग्राहीयों के मोबिलाइजेशन, मैनेजमेन्ट तथा प्लेसमेंट का अनुभव होना! आवश्यक होगा। इस संबंध में विगत तीन वर्षो के मोबिलाईजेशन तथा प्लेसमेंट के आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत किये जाने होंगे।

3.5 इच्छुक संस्था के पास कृषि एवं संबद्ध कार्यो का प्रषिक्षण संबंधी अनुभव होना चाहिए। कौषल विकास से संबंधित शासकीय विभाग में कौशल विकास प्रशिक्षण/अन्य प्रशिक्षण/ सलाह सेवाएं, प्रोजेक्ट वर्क, प्रचार – प्रसार सेवाएं, जांइट प्रोजेक्ट आदि / इनोवेटिव गतिविधियां के प्रशिक्षण कार्यो का अनुभव होना चाहिए जिसके कार्यादेश तथा उनकी पूर्ति एवं संतुष्टि का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत होना चाहिए।

3.6 संस्था के पास कृषि एवं संवर्गीय विभाग तथा ग्रामीण विकास एवं कौषल विकास से संबंधित प्रषिक्षण परामर्ष परियोजना, सी.एस.आर., एफ.पी.ओ. संबंधित परियोजना, कृषि व्यवसाय, कृषि आजीविका से संबंधित गतिविधियों, कौशल विकास प्रशिक्षण, राज्य एवं केन्द्र शासन, निजी संस्थाओं, सी.एस.आर. योजनायें आदि क्षेत्र कृषि अथवा कृषि यांत्रिकरण के क्षेत्र में काम करने का अनुभव होना चाहिए।

3.7 संस्था को मध्य प्रदेश में न्यूनतम 5 वर्षो का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

3.8 कनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट : संस्थान या संस्थान का कोई भी सदस्य या संस्था के सदस्य का कोई भी सम्बंन्धी, असेसमेंट एजेंसी या मॉनिटरिंग बॉडी में किसी भी तरह कार्यरत अथवा सहयोगी नहीं होना चाहिए।

3.9 संस्था किसी भी शासकीय या अर्धशासकीय विभाग से ब्लैकलिस्टेड नही होना चाहिए। इस हेतु रू.500/– के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट देना अनिवार्य होगा।

3.10 अनिवार्य पात्रता मापदंड की शर्तो की व्याख्या करने का अधिकार केवल संचालक सियेट को होगा।

4. निविदाओं का जमा किया जाना :–

निविदा टू बिड सिस्टम से जमा की जाना होगी। तकनीकी निविदा तथा धरोहर राशि और निविदा शुल्क अलग–अलग लिफाफे में सील बन्द कर दोनो लिफाफे एक बड़े लिफाफे में बन्द कर जमा की जावें। सभी लिफाफो पर निविदाकार का पूरा नाम, निविदा क्रमांक आदि का पूर्ण विवरण लिखा जावे। तकनीकी निविदा प्रपत्र "अ" में तथा धरोहर राशि और निविदा शुल्क पूर्ण जमा कर दी जावें। सभी संस्थाओं को निर्धारित प्रारूप में ही जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रस्ताव निरस्त माना जाएगा।

5. धरोहर राशि का विवरण :–

प्रत्येक निविदा के साथ धरोहर राशि रू. 100000/– (शब्दो में एक लाख रू. मात्र) एफ.डी./बैंक गारंटी के रूप में जो कि संचालक SIAET के नाम से हो, संलग्न किया जाना आवश्यक है। धरोहर राशि के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जाएगा।

6. निविदा शुल्क :–

निविदा शुल्क 5000+18 % GST डी.डी. के रूप में जो कि संचालक SIAET के नाम से हो, संलग्न किया जाना आवश्यक है।

7. निविदाओं का मूल्यांकन :–

7.1 संस्थाओं से प्राप्त सील– बंद निविदाएं **संचालक, राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान, भदभदा रोड़, बरखेड़ीकलां भोपाल** में समिति के सदस्यो के समक्ष खोली जावेगी, जिसमें संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है। सर्वप्रथम तकनीकी निविदाओं को खोला जाकर तकनीकी समिति द्वारा निविदाओं का परीक्षण तथा मूल्यांकन किया जाएगा। परीक्षण तथा मूल्यांकन का आधार निविदा पत्रक के बिन्दु क्रमांक 3 में दर्शाई गई पात्रताओं की पूर्ति होगा। न्यूनतम पात्रता की पूर्ति करने वाली निविदाओं का अन्तिम मूल्यांकन निम्न तालिका अनुसार किया जावेगा। मूल्यांकन कुल 100 अंको का किया जाएगा जिसमें न्यूनतम 65 अंक प्राप्त करने वाले निविदाकारों की ही वित्तीय निविदाओं को खोला जाएगा।

तकनीकी मूल्यांकन पत्रक

क्र.	विवरण	अधिकतम अंक	अंक दिये जाने का आधार		आवश्यक अभिलेख	प्राप्तांक
			आधार	अंक		
1	संस्था का विगत तीन वर्षो का टर्नओवर	20	1 करोड़ से 3 करोड़	05	चार्टर्ड एकाउंटेट से अंतिम लेखे प्रमाणित हो।	
			3 से अधिक एवं 5 करोड़ तक	10		
			5 करोड़ से अधिक	20		
2	विगत तीन वर्षो में शासकीय विभागों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यो का अनुभव	20	2 विभागों मे	05	संबंधित विभागों से प्राप्त कार्य आदेश संलग्न करें।	
			4 विभागों मे	10		
			5 से अधिक विभागों में	20		
3	विगत तीन वर्षो में कौशल प्रशिक्षण में मोबाइलजेशन तथा प्लेसमेंट का अनुभव	15	**मोबिलाईजेशन**		प्राप्त कार्य आदेशों के आधार पर किये गये मोबालाईजेशन एवं प्लेसमेंट की रिपोर्ट नीचे लिखे नोट अनुसार	
			01 से 1000 तक	05		
			1001 से 2000 तक	10		
			2000 से उपर तक	15		
		10	**प्लेसमेंट/सस्टेनेबिलिटी/प्रोजेक्ट कम्पलीशन**			
			मोबिलाईजेशन का 70 प्रतिशत	05		
			मोबिलाईजेशन का 75 प्रतिशत	10		
4	संस्था के पास कृषि अथवा कृषि यांत्रिकरण के क्षेत्र में काम करने का अुनभव	10	05 वर्ष तक	05	विभागों से प्राप्त कार्य आदेश संलग्न करें।	
			05 वर्ष से अधिक	10		
5	म.प्र. में कार्य करने वाली संस्था	10	5 वर्ष का अनुभव	05	संबंधित प्रमाण पत्र	
			5 वर्ष से ज्यादा का अनुभव	10		
6	प्रेजेन्टेशन	15				
	योग	**100**				

नोटः—प्राप्त कार्य आदेशों के आधार पर किये गये मोबिलाईजेशन तथा प्लेसमेंट की रिपोर्ट का प्रारूप

क्र.	प्रशिक्षणार्थी का नाम	जिला	विभाग	मोबाईल नम्बर	कंपनी का नाम जहां प्लेसमेंट किया गया	वेतन	कंपनी के अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर

8. कार्यादेश जारी होने के एक सप्ताह की अवधि में निविदाकार तथा संचालक, SIAET भोपाल के मध्य अनुबंध हस्ताक्षरित किया जाएगा। अनुबंध की अवधि दो वर्ष की होगी जिसे आपसी सहमति एवं संतोष जनक कार्य होने की स्थिति में अनुबंध अवधि को अधिकतम 02 वर्षो तक बढ़ाया जा सकेगा।

9. संस्थाओ द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेखो को स्वयं सत्यापन करवा कर संलग्न करना अनिवार्य है।

10. बिना कोई कारण बताये निविदा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार संचालक, SIAET भोपाल को होगा।

11. किसी भी संस्था का कार्य संतोषप्रद न होने पर संस्था से कार्य हटा कर अन्य कार्यरत संस्था को दिया जा सकेगा।

//कवरिंग लेटर//

सेवा में,

....

....

विषय :– कौशल विकास परियोजनाओं के प्रशिक्षण/अन्य प्रशिक्षण/सलाह सेवाएं, प्रोजेक्ट वर्क, प्रचार–प्रसार सेवाएं, जांइट प्रोजेक्ट आदि/इनोवेटिव गतिविधियां/के लिए प्रशिक्षण प्रदाता को पैनल में शामिल करने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति।

महोदय,

उपरोक्त उद्देश्य के लिए प्रकाशित रूचि की अभिव्यक्ति के निमंत्रण के जवाब में, हम उपरोक्त प्रस्तावित कार्य को पूरा करने के लिए रूचि व्यक्त करना चाहते हैं।
निर्देशानुसार, हम निम्नलिखित दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में संलग्न हैं।

1. प्रारूप ''अ'' सामान्य जानकारी।
2. संस्था की कौशल विकास प्रशिक्षण/अन्य प्रशिक्षण/सलाह सेवाएं, प्रोजेक्ट वर्क, प्रचार–प्रसार सेवाएं, जांइट प्रोजेक्ट आदि/इनोवेटिव गतिविधियां/एवं प्रबंधन क्षेत्र में टर्न ओवर की जानकारी।
3. शासकीय विभागों का विवरण जिनमें कौशल विकास प्रशिक्षण/अन्य प्रशिक्षण/सलाह सेवाएं, प्रोजेक्ट वर्क, प्रचार–प्रसार सेवाएं, जांइट प्रोजेक्ट आदि/इनोवेटिव गतिविधियां एवं प्रबंधन कार्यक्रम संचालित करना।
4. कौशल विकास प्रशिक्षण National Skill Qualification fram work (NSQF नार्म) हेतु प्रशिक्षित तथा प्लेसमेन्ट की जानकारी।
5. कौशल विकास क्षेत्र के कार्य का अनुभव।
6. अन्य (अन्य प्रशिक्षण /सलाह सेवाएं, प्रोजेक्ट वर्क, प्रचार–प्रसार सेवाएं, जांइट प्रोजेक्ट आदि/इनोवेटिव गतिविधियां) के लिए किए गए कार्यो का विवरण एवं प्रमाण–पत्र।

//घोषणा//

हम एतद् द्वारा पुष्टि करते हैं कि हम इस EOI में उल्लेखित सभी नियमों और शर्तों से सहमत हैं और स्वीकार करते हैं हम उस हिस्से से संबंधित कार्य करने के लिए तैयार हैं जिसके लिए हम SIAET भोपाल द्वारा आवश्यक EOI जमा कर रहे हैं।

इसके साथ प्रदान की गई सभी जानकारी मेरी जानकारी में है और वास्तविक और सटीक है।

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम और पता

तकनीकी निविदा प्रपत्र

प्रारूप "अ"

1. सामान्य जानकारीः–

क्र	संस्थान संबंधी जानकारी	विवरण	संलग्न अनिवार्य
1.1	संस्था का नाम		पंजीयन प्रमाण पत्र
1.2	संस्था का प्रकार (Nature)		पंजीयन प्रमाण पत्र
1.3	संस्था का गठन दिनांक एवं वर्ष		पंजीयन प्रमाण पत्र
1.4	मुख्यालय का पता		
1.5	स्थानीय कार्यालय का पता/फोन नं./ई–मेल		
1.6	संस्था प्रमुख का नाम/पता/फोन नं./ई–मेल		
1.7	सम्पर्क हेतु अधिकारी /कर्मचारी का नाम/ पता/फोन नं./ई–मेल		
1.8	संस्था का नीति आयोग में पंजीकरण नम्बर/कंपनी एक्ट में पंजी. नम्बर	पंजीकरण नम्बर	नीति आयोग का प्रमाण पत्र
1.9	संस्था के पास क्वालिटी मेनेजमेन्ट मे आई.एस.ओ. सर्टिफिकेट	सर्टिफिकेट नम्बर	सर्टिफिकेट
1.10	Pan No./Tan No.		संबंधित प्रमाण पत्र
1.11	GST No.		संबंधित प्रमाण पत्र
1.12	संस्थान के किसी भी शासकीय या अर्धशासकीय विभाग से ब्लैकलिस्टेड होने की जानकारी	ब्लैकलिस्टेड है/ नहीं है	500 रू. के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट
1.13	कनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट		100 रू. के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट
1.14	संस्था का ई.पी.एफ. एवं इ.एस.आई.सी. प्रमाण–पत्र	प्रमाण पत्र क्र........	प्रमाण–पत्र की प्रतिलिपि

2. निम्न में से किन कार्यो हेतु आपके द्वारा आवेदन किया जा रहा है –

क्र	गतिविधियां	विकल्प
1	कौशल विकास प्रशिक्षण	☐
2	अन्य प्रशिक्षण	☐
3	सलाह सेवाएं, प्रोजेक्ट वर्क, प्रचार–प्रसार सेवाएं, जांइट प्रोजेक्ट आदि	☐
4	इनोवेटिव गतिविधियां	☐

3. संस्था की कौशल विकास प्रशिक्षण/अन्य प्रशिक्षण/सलाह सेवाएं, प्रोजेक्ट वर्क, प्रचार–प्रसार सेवाएं, जांइट प्रोजेक्ट आदि/इनोवेटिव गतिविधियां एवं प्रबंधन क्षेत्र में टर्न ओवर की जानकारी

वर्ष	टर्न ओवर (करोड़ में)
2019–20	
2020–21	
2021–22	
योग	

4. शासकीय विभागों का विवरण जिनमें कौशल विकास प्रशिक्षण/अन्य प्रशिक्षण /सलाह सेवाएं, प्रोजेक्ट वर्क, प्रचार–प्रसार सेवाएं, जांइट प्रोजेक्ट आदि/इनोवेटिव गतिविधियां एवं प्रबंधन कार्यक्रम संचालित किया गया :–

वर्ष	क्र.	विभाग का नाम	संचालित केन्द्र/प्रोजेक्ट संख्या संख्या	किये गये कार्य का विवरण
2019–20				
2020–21				
2021–22				

5. कौशल विकास प्रशिक्षण (NSQF नार्म) हेतु प्रशिक्षित तथा प्लेसमेंट की जानकारी

वर्ष	Trained Candidate प्रशिक्षित उम्मीद्वार संख्या (कुल)	Placement संख्या (कुल)	
		संख्या	प्रतिशत
2019–20			
2020–21			
2021–22			

6. अन्य प्रशिक्षण (NSQF नार्म) हेतु प्रशिक्षित तथा प्लेसमेंट की जानकारी

वर्ष	अन्य गतिविधियां	परियोजना विवरण	
		प्रोजेक्ट वैल्यू	समयावधि
2019–20			
2020–21			
2021–22			

7. कौशल विकास क्षेत्र के कार्य का अनुभव :–

(विगत तीन वर्षो का वर्षवार पृथक–पृथक शीट में)

क्र.	जिले का नाम	विभाग	ट्रेड	प्रशिक्षण दिवस	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्लेसमेंट प्राप्त प्रशिक्षणार्थी संख्या

8. विगत तीन वर्षो में परामर्षी परियोजनायें रोजगार, स्वरोजगार, आजीविका, सी.एस.आर., एफ.पी.ओ. संबधित गतिविधियां :–

(विगत तीन वर्षो का वर्षवार पृथक–पृथक शीट में)

क्र.	प्रोजेक्ट का नाम	विभाग	संक्षिप्त विवरण	ऑर्डर वैल्यू	प्रोजेक्ट अवधि	प्रोजेक्ट का आउटपुट / आउटकम

नॉन–ब्लैक लिस्टिड सर्टिफिकेट

50 रू. के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविड

यह प्रमाणित करते है कि हम, ... (एजेंसी का नाम) पंजीकृत .... के तहत हैं। पंजीकरण संख्या ....घोषित करते है, और पुष्टि करते है कि हम आज तक किसी भी मंत्रालय विभाग/बोर्ड निगम/केन्द्र या राज्य सरकार की किसी अन्य संस्थान या किसी अर्ध–शासकीय या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी बैंक या किसी अन्य संस्थान द्वारा न तो काली सूची में डाला गया है और न ही दिवालिया है। यदि इस EOI के तहत दी गई कोई भी जानकारी, किसी भी स्तर पर झूठी पाई जाती है, तो एजेंसी पूरी तरह से जिम्मेदार होगी और बिना किसी प्रश्न के SIAET द्वारा लिए गए निर्णय को स्वीकार करेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम और पता

कनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट

100 रू. के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविड

यह प्रमाणित करते है कि हम, ... (एजेंसी का नाम) पंजीकृत................. के तहत संख्या ....घोषित करते है ना ही हमारी संस्था और ना ही संस्थान का कोई भी सदस्य या संस्थान के सदस्य का कोई भी सम्बन्धी, असेसमेन्ट एजेंसी या मॉनीटरिंग बॉडी में किसी भी तरह कार्यरत अथवा सहयोगी नहीं है। यदि इस EOI के तहत दी गई कोई भी जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी पाई जाती है, तो एजेंसी पूरी तरह से जिम्मेदार होगी और बिना किसी प्रश्न के SIAET द्वारा लिए गए निर्णय को स्वीकार करेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम और पता